**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1968**

**उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025**

**हाशिए पर रहने वाले सामाजिक समूहों के साथ भेदभाव**

**1968. एडवोकेट चन्द्र शेखरः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के साथ हो रहे जातीय और धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कौन-कौन सी लक्षित पहलें शुरू की हैं; और

(ख) महिला सशक्तिकरण योजना के परिणाम संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और क्या वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महिला-संवेदनशील कार्यक्रमों हेतु बजट आवंटन में वृद्धि हुई है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क) और (ख):** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों की महिलाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य- क्षेत्र प्रशासनों की होती है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई पहलें की हैं, जो **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, 'अस्पृश्यता' की प्रथा से उत्पन्न किसी भी निःशक्तता के प्रवर्तन के लिए दंड विहित करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों (महिलाओं सहित) के विरूद्ध अत्याचार के अपराधों का निवारण करता है; ये अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केन्द्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके अंतर्गत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' को कार्यान्वित करता है। इस योजना में दो उप-योजनाएं शामिल हैं, जिनके नाम 'संबल' और 'सामर्थ्य' हैं।

'सामर्थ्य' उप-योजना में एक घटक अर्थात महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) है जिसे 'संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिलाओं के पोषण और ज्ञान आधारित उन्नति, लास्ट माइल डिलीवरी वितरण और क्षमताओं की पहचान के लिए सहायक कार्रवाई: महिला सशक्तिकरण केंद्र)' के रूप में जाना जाता है, जिसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें एक ऐसा वातावरण बनाने का अधिदेश है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का अहसास कर सकें ताकि महिलाओं के लिए राज्य द्वारा की जा रही कार्रवाई में कमियों को दूर किया जा सके ताकि ऐसी प्रक्रियाओं को मजबूत करते हुए उनके अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा दिया जा सके जिससे सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

संकल्प: एचईडब्ल्यू पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और यह 35 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में संचालनरत है। अब तक, 35 राज्य संकल्प: एचईडब्ल्यू और 742 जिला संकल्प: एचईडब्ल्यू संचालनरत हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (31.01.2025 तक) में संकल्प एचईडब्ल्यू के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

केंद्रीय बजट में जेंडर बजट के लिए बजट आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 के 2,38,219.75 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,27,158.44 करोड़ रुपये हो गया है।

*******

अनुबंध-I

**दिनांक 11.03.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1968 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I**

**महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम/पहल**

i. यौन अपराधों के प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान विहित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों में दो महीनों में जांच पूरी करने और विचारण भी दो महीनों में पूरा किया जाना अनिवार्य बनाया गया है।

ii. तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के साथ, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों को पहली बार पुनर्व्यवस्थित किया गया है और इन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 में एक अध्याय के तहत रखा गया है। विवाह, नौकरी, पदोन्नति आदि का झूठा वायदा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने के लिए एक तथा अपराध समाविष्ट किया गया है। यह प्रावधान निवारक के रूप में कार्य करता है तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए, सिद्धदोष व्यक्ति के लिए उसके शेष सहज जीवन पर्यन्त या मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा होगी। पहले, इस तरह की सजा की सीमा 12 वर्ष थी।

iii. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए अखिल भारतीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एकल नंबर (112) आधारित प्रणाली उपलब्ध कराती है, जिसमें व्यथित कॉलर के स्थान की पहचान करने और संकट के स्थान पर फील्ड संसाधनों को भेजने की सुविधा के लिए स्थान-आधारित सेवा/वैश्विक स्थिति सेवा (global positioning service) शामिल है।

iv. स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

v. सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) शुरू किया है, ताकि आम जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सके, जिसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गृह गृह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

vi. गृह मंत्रालय ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए 20 सितंबर, 2018 को "राष्ट्रीय यौन अपराधी डाटाबेस" (एनडीएसओ) लांच किया है।

vii. गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2019 को पुलिस के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक साधन "यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली" लांच किया है, ताकि उन्हें आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन आक्रमण मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैक करने में सुविधा मिल सके।

viii. जांच में सुधार के लिए गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए विश्लेषण की अत्याधुनिक इकाई की स्थापना शामिल है। गृह मंत्रालय ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी दी है।

ix. गृह मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट में मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। पर्याप्त जनशक्ति क्षमता उपलब्ध कराने हेतु जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में अभिमुखीकरण किट के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18,020 यौन आक्रमण साक्ष्य संग्रह किट वितरित किए हैं।

x. गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में पुलिस स्टेशनों और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।

xi. उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के उद्देश्य से समय-समय पर परामर्श जारी किए हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

**अनुबंध-II**

**दिनांक 11.03.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1968 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II**

**संकल्प: एचईडब्ल्यू के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियां**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र | जारी राशि (रु. में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 58,60,000 | 58,60,000 | |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 2,12,49,000 | 0 | |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 3,07,17,000 | 0 | |
| 4. | असम | 4,22,82,000 | 10,71,63,000 | |
| 5. | बिहार | 3,05,01,000 | 0 | 3,12,54,317 |
| 6. | चंडीगढ़ | 32,90,000 | 73,57,378 | |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 2,66,46,000 | 0 | |
| 8. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 58,60,000 | 0 | 74,70,000 |
| 9. | दिल्ली | 96,84,000 | 0 | 74,35,870 |
| 10. | गोवा | 0 | 30,37,500 | |
| 11. | गुजरात | 2,66,46,000 | 3,52,62,000 | 95,36,103 |
| 12. | हरियाणा | 1,81,65,000 | 0 | |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 1,56,82,500 | 2,00,47,500 | 92,99,350 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 7,25,01,750 | 3,17,11,500 |
| 15. | झारखंड | 12,03,000 | 1,85,04,400 | |
| 16. | कर्नाटक | 0 | 2,51,04,000 | 2,47,47,000 |
| 17. | केरल | 1,19,97,000 | 1.53,09,000 | |
| 18. | लद्दाख | 45,75,000 | 45,75,000 | 59,25,000 |
| 19. | लक्षद्वीप | 32,90,000 | 0 | |
| 20. | मध्य प्रदेश | 0 | 4,95,52,500 | |
| 21. | महाराष्ट्र | 0 | 9,21,66,000 | |
| 22. | मणिपुर | 2,03,08,500 | 0 | |
| 23. | मेघालय | 1,56,82,500 | 2,88,56,250 | |
| 24. | मिजोरम | 1,45,26,000 | 1,39,32,000 | 3,17,79,000 |
| 25. | नागालैंड | 0 | 4,51,08,000 | 1,84,92,822 |
| 26. | ओडिशा | | | |
| 27. | पुदुचेरी | 12,03,000 | 30,84,000 | |
| 28. | पंजाब | 1,89,36,000 | 0 | |
| 29. | राजस्थान | 2,66,46,000 | 3,42,52,000 | |
| 30. | सिक्किम | 0 | 87,43,500 | 1,06,18,033 |
| 31. | तमिलनाडु | 3,05,01,000 | 7,46,80,035 | |
| 32. | तेलंगाना | 2,66,46,000 | 3,37,77000 | |
| 33. | त्रिपुरा | 1,10,56,500 | 0 | 1,36,75,500 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 5,90,28,000 | 0 | 7,79,76,000 |
| 35. | उत्तराखंड | 1,68,39,000 | 2,15,05,500 | |
| 36. | पश्चिम बंगाल* | | | |
| **कुल** | | **49,90,20,000** | **72,03,78,313** | **30,47,19,995** |

** पश्चिम बंगाल राज्य इस योजना को कार्यान्वित नहीं करता है।*

******